# शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

**(आयकर)**

**का.आ. 2911(अ).—**भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 2754, दिनांक 22 अक्तूबर, 2014, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड, 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 22 अक्तूबर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में—

(i) कॉलम (2) में जहां-जहां "आयकर आयुक्त (छूट)" शब्द आए हों वहां-वहां इनके स्थान पर "आयकर आयुक्त (छूटें)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) कॉलम (2) के अंतर्गत दी गई प्रविष्टि में क्रम संख्या 6 के समक्ष, शब्द "दिल्ली-2" के स्थान पर शब्द "दिल्ली" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) कॉलम (5) में दी गई प्रविष्टि में क्रम संख्या 10 के समक्ष, शब्द "क्रम संख्या 158 से 181" के पश्चात् शब्द "और 112 से 116" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) कॉलम (5) के अंतर्गत दी गई प्रविष्टि के क्रम संख्या 14 के समक्ष, संख्या "241" को "250" पढ़ा जाए;

(v) कॉलम (4) के अंतर्गत दी गई प्रविष्टि में क्रम सं.14 के समक्ष शब्द "मुम्बई और नवी मुंबई" को "बृहन्मुंबई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और नवी मुंबई नगर निगम" के रूप में पढ़ा जाएगा।

[अधिसूचना सं. 65/2014/फा. सं.187/38/2014 (आईटीए-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक